भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 439

**दिनांक 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना**

439. **श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का स्वीकृत परियोजनाओं के प्रकार को दर्शाते हुए राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए टीआईईएस के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार और परियोजनावार कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है:

(ग) स्वीकृत टीआईईएस परियोजनाओं, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं की वर्तमान परिचालन स्थिति क्या हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में टीआईईएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किन्हीं चुनौतियों या देरी का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो इन चुनौतियों के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) आंध्र प्रदेश में टीआईईएस परियोजनाओं के लिए लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है, उनकी लंबित स्थिति के क्या कारण हैं और उनकी स्वीकृति के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

**<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (घ): भारत सरकार का वाणिज्य विभाग वित्त वर्ष 2017-18 से 'व्यापार अवसंरचना निर्यात योजना (टीआईईएस)' का वित्तीय कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों को निर्यात के विकास के लिए उपयुक्त अवसंरचना सृजन में सहायता करना है। इस योजना के तहत, निर्यात अवसंरचना स्थापित करने या उन्नयन के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान

की जाती है। इस योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 360 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ आगे बढ़ाया गया है।

वर्ष 2017-18 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक टीआईईएस के तहत कुल 66 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 28 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 11 रद्द की गई हैं और शेष 27 कार्यान्वयन के अधीन हैं। अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य/संघ क्षेत्रवार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में अनुमोदित परियोजनाओं, अनुमोदित वित्तीय सहायता, जारी निधि और परियोजनाओं की स्थिति का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

टीआईईएस संबंधी अधिकार प्राप्त समिति नियमित रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में चल रही विलंबित परियोजनाओं की कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है। समीक्षा के बाद, अधिकार प्राप्त समिति विलंबित परियोजनाओं की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करती है ताकि परियोजनाओं को संशोधित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

(ङ.): वर्तमान में वाणिज्य विभाग के पास टीआईईएस के तहत विचारार्थ कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*******

अनुबंध- I

**दिनांक 04-02-2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 439 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | टीआईईएस के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | तमिलनाडु | 19* |
| 2 | कर्नाटक | 8* |
| 3 | आंध्र प्रदेश | 5 |
| 4 | केरल | 3 |
| 5 | मध्य प्रदेश | 3 |
| 6 | पंजाब | 3 |
| 7 | त्रिपुरा | 3 |
| 8 | राजस्थान | 3 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 10 | मणिपुर | 2 |
| 11 | असम | 2 |
| 12 | महाराष्ट्र | 2* |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 2* |
| 14 | चंडीगढ़ | 1 |
| 15 | दिल्ली | 1 |
| 16 | हरियाणा | 1 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 1 |
| 18 | मेघालय | 1 |
| 19 | बिहार | 1 |
| 20 | सिक्किम | 1 |
| 21 | झारखंड | 1* |
| (*रद्द की गई परियोजनाओं सहित)<br>(तमिलनाडु में 7 परियोजनाएं रद्द हुई)<br>(झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रत्येक 1 परियोजनाए रद्द की गई। | | |

**अनुबंध-II**

**दिनांक 04-02-2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 439 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**(करोड़ रुपए में)**

| क्र. सं. | क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी | परियोजना का नाम / जिला | कुल परियोजना लागत | टीआईईएस अनुमोदित निधि | अब तक जारी की गई निधि | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश मेड टेक ज़ोन लिमिटेड (एएमटीजेड) | डिजाइन, निर्माण और विनिर्माण टेक्नेटियम 99एम जेनरेटर (मेडिकल रेडियो-आइसोटोप)<br><br>जिला : विशाखापत्तनम | 28 | 14 | 14 | पूर्ण हो चुका है |
| 2 | एएमटीजेड | हेमोडायलिसिस के लिए होलो फाइबर मेंम्बरेन झिल्ली एक्सट्रूज़न के लिए केंद्र की स्थापना<br><br>जिला: विशाखापत्तनम | 24 | 12 | 10.50 | कार्यान्वयन के अधीन |
| 3 | एएमटीजेड | ईएमआई/ईएमसी और ईएसटी केंद्र बायोमटेरियल परीक्षण केंद्र 3डी डिजाइन और रैपिड प्रोटोटाइपिंग गामा केंद्र<br>जिला: विशाखापत्तनम | 168.87 | 40 | 40 | पूर्ण हो चुका है |
| 4 | आंध्र प्रदेश व्यापार संवर्धन निगम लिमिटेड ( एपीटीपीसी ) | एईपी, गजुवाका में निर्यात वेयर हाउसिंग सुविधा का विकास,<br><br>जिला: विशाखापत्तनम | 7 | 2.81 | 2.81 | पूर्ण हो चुका है |
| 5 | निर्यात निरीक्षण परिषद | निर्यात निरीक्षण एजेंसी के कार्यालय सह प्रयोगशाला परिसर का निर्माण<br><br>जिला: विशाखापत्तनम | 14.52 | 7.26 | 7.149 | कार्यान्वयन के अधीन |

*******